



कार्यालय कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी, जिला-कोरबा(छत्तीसगढ़)

दूरभाष : 07759-222886

ई-मेल: korba.cg@nic.in

// संशोधित आदेश //

क्रमांक / 8459 / सां.लि. / 2020

कोरबा, दिनांक 02/06/2020

कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 7482 / सां.लि. / 2020 कोरबा, दिनांक 17.05.2020 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 लागू की गई है।

- कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 8236 / सां.लि. / 2020 कोरबा, दिनांक 29.05.2020 द्वारा जारी आदेश के बिन्दु क्र. 03 में आदेश क्रमांक / 7482 / सां.लि. / 2020 कोरबा, दिनांक 17.05.2020, आदेश क्रमांक / 7808 / सां.लि. / 2020 कोरबा, दिनांक 21.05.2020 एवं आदेश क्रमांक / 8112 / सां.लि. / 2020 कोरबा, दिनांक 29.05.2020 द्वारा अनुमत प्राप्त दुकान/प्रतिष्ठानों के संचालन का दिवस रविवार से शुक्रवार तक रहेगा, जिसकी संचालन की समयावधि प्रातः 07:00 से सायं 05:00 बजे तक निर्धारित किया गया है।

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अनुमत प्राप्त दुकाने/प्रतिष्ठानों के संचालन की समयावधि प्रातः 07:00 से सायं 07:00 बजे तक निर्धारित जाता है। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

- यह आदेश कंटनमेंट जोन/इस कार्यालय द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगी।
- कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण की दृष्टिगत रखते हुए इस कार्यालय द्वारा जारी कार्यालयीन आदेश के आदेश क्रमांक / 5313 / सां.लि. / 2020 कोरबा दिनांक 24.03.2020 एवं आदेश क्रमांक / 5343 / सां.लि. / 2020 कोरबा दिनांक 25.03.2020, आदेश क्रमांक / 5375 / सां.लि. / 2020 कोरबा, दिनांक 28.03.2020, आदेश क्रमांक / 5498 / सां.लि. / 2020 कोरबा, दिनांक 31.03.2020, आदेश क्रमांक / 5662 / सां.लि. / 2020 कोरबा, दिनांक 05.04.2020, आदेश क्रमांक / 5796 / सां.लि. / 2020 कोरबा, दिनांक 09.04.2020, आदेश क्रमांक / 5954 / सां.लि. / 2020 कोरबा, दिनांक 13.04.2020, आदेश क्रमांक / 6260 / सां.लि. / 2020 कोरबा, दिनांक 25.04.2020, आदेश क्रमांक / 6262 / सां.लि. / 2020 कोरबा, दिनांक 25.04.2020, आदेश क्रमांक / 6283 / सां.लि. / 2020 कोरबा, दिनांक 25.04.2020, आदेश क्रमांक / 6287 / सां.लि. / 2020 कोरबा, दिनांक 27.04.2020, आदेश क्रमांक / 208 / कोविड-19 / वाररूम 2020 कोरबा, दिनांक 27.04.2020, आदेश क्रमांक / 6301 / सां.लि. / 2020 कोरबा, दिनांक 28.04.2020, आदेश क्रमांक / 7384 / सां.लि. / 2020 कोरबा, दिनांक 15.05.2020 आदेश क्रमांक / 7808 / सां.लि. / 2020 कोरबा, दिनांक 21.05.2020 एवं आदेश क्रमांक / 8112 / सां.लि. / 2020 कोरबा, दिनांक 29.05.2020 एवं आदेश क्रमांक / 8236 / सां.लि. / 2020 कोरबा, दिनांक 29.05.2020 को इस आदेश के साथ पढ़ा जावे। जो कि उक्त अनुक्रम में आदेश को जारी किया जा रहा है। आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

यह आदेश दिनांक 02.06.2020 से प्रभावशील होगा।


कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
कोरबा (छत्तीसगढ़)

कोरबा, दिनांक 02/06/2020

पृ0क्र0 / 8460. / सां.लि. / 2020
प्रतिलिपि :-

- अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ.ग. शासन गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- सचिव, छ.ग. शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- सचिव, छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर (छ0ग0) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- पुलिस अधीक्षक, कोरबा (छ0ग0) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा (छ0ग0) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

7. अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कोरबा/कटघोरा/पोड़ीउपरोडा, जिला-कोरबा (छ0ग0) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. उप संचालक, जनसंपर्क कोरबा को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में निः शुल्क प्रकाशनार्थ।
9. सर्वजिला कोरबा को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
कोरबा (छत्तीसगढ़)